बैंक ऑफ महाराष्ट्र
(भारत सरकार का उद्यम)
www.bankofmaharashtra.in

1/14, प्रशासनिक जोन, अरेरा हिल्स, भोपाल
फोन : 2551003, 2573623

ई-नीलामी सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन एवं प्रतिभूति-हित-का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत बैंक के कब्जे में रखी गई संपत्ति की ई-नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत बैंक अपने बकाया देय की वसूली हेतु उनके पास बंधक रखी गई /प्रभारित निम्न वर्णित संपत्ति की नीलामी ''जहाँ है जैसा है एवं जो कुछ भी है'' के आधार पर एवं निम्नवर्णित नियम एवं शर्तों पर कर रहा है। बैंक के पास सभी वर्णित सुरक्षित संपत्तियों का भौतिक कब्जा है।

निविदा में भाग लेने हेतु अनुरोध पत्र / केवायसी दस्तावेज / ईएमडी जमा करने की दिनांक 14.03.2017 दोपहर 3 बजे तक
ई-नीलामी की दिनांक 16-03-2017 समय दोपहर 12 से 2 बजे तक 5 मिनिट के असीमित विस्तार पर यदि बिड अंतिम 5 मिनिट में जमा होती है तो...

क्र. सं.	उधारकर्ता एवं जमानतदार का नाम एवं पता	बकाया राशि जिस हेतु संपत्ति नीलामी की जा रही है	बंधक संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि / बिड बढ़ाने की राशि
	शाखा गौतमनगर, भोपाल फोन : 0755 – 2584649/2583677			
1	**ऋणी-(1) श्रीमती पूर्णिमा श्रीवास्तव पत्नि श्री प्रवीण श्रीवास्तव (2) श्री प्रवीण श्रीवास्तव पुत्र श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव निवासी**-फ्लैट नं. 402, ग्रीन पार्क अपार्टमेंट, ई-7/87, अरेरा कालोनी, लालालाजपत राय सोसायटी, भोपाल **जमानतदार-श्री आशीष तिवारी पुत्र श्री जी.पी. तिवारी, निवासी-** फ्लैट नं. 3, ग्रीन पार्क अपार्टमेंट, ई-7/87, अरेरा कालोनी, भोपाल	दि. **20.12.2014** को **567011/-** (रुपये पाँच लाख सड़सठ हजार ग्यारह मात्र) + दिनांक **31.03.2010** से ब्याज **@ 12%** प्रतिवर्ष एवं अन्य खर्च	लॉट नं. 1: **प्लाट नं. 17, (खसरा नं. 255) ग्राम-नरेला शंकरी, भोपाल** क्षेत्रफल- 2400 वर्गफिट, **चर्तुसीमा-**पूर्व-प्लाट नं. 18, पश्चिम- अन्य की जमीन, उत्तर- PWD वर्कशाप, दक्षिण- कालोनी रोड	₹ **1425000/-** ₹ **142500/-** ₹ **5,000/-**
	शाखा टी.टी. नगर, भोपाल फोन : 0755-2554477			
2	**ऋणी- श्री निर्मल कुमार जैन पुत्र श्री रामचरण जैन** **जमानतदार-(1) श्री निर्मल कुमार जैन पुत्र श्री रामचरण जैन** **(2) श्री पुनीत कुमार पुत्र श्री निर्मल कुमार जैन** **(3) श्रीमती सुमन जैन पत्नि निर्मल जैन** **सभी निवासी-** म.नं. 86, पुट्ठा मिल के सामने, छोला रोड, भोपाल (म.प्र.)	दि. **13.04.2015** को **1,96,75,713/-** (एक करोड़ छियानवे लाख पचहत्तर हचार सात सौ तेरह मात्र) + दि. **01.02.2014** से ब्याज **@ 13.25%** प्रतिवर्ष एवं अन्य खर्च	**लॉट नं. 2:** डायवर्टेड भूमि स्थित दो मंजिला रिहायशी भवन एवं उस पर निर्मित स्ट्रक्चर, प.ह.नं. 32/17, खसरा नं. 227/2, 228/2, 229/3 ग्राम- बरखेड़ा अब्दुल्ला तह. हुजूर, भोपाल **क्षेत्रफल- 53800 वर्गफिट** संपत्ति मालिक- पुनीत कुमार जैन पुत्र निर्मल कुमार जैन **चर्तुसीमाएं-** उत्तर- पुनीत जैन की भूमि, पूर्व-पुनीत जैन की भूमि, पश्चिम- रोड, दक्षिण-पुनीत जैन की भूमि	₹ **9792750/-** ₹ **979275/-** ₹ **5,000/-**
3	**ऋणी- श्री प्रेम नारायण पांडे** **पता-** क्वाटर नं. 141 – A, R-B II, वेस्टर्न रेलवे कालोनी, भोपाल (म.प्र.) **जमानतदार- श्री देवधारी राम पुत्र दिनेश राम, पता-**141–B, पटेल नगर, रायसेन रोड, भोपाल (म.प्र.)	दि. **04.06.2009** को **4,60,579/-** (चार लाख साठ हजार पांच सौ उन्यासी मात्र)+दि. **01.05.09** से नियमानुसार देय ब्याज एवं अन्य खर्च	**लॉट नं. 3:** एक मंजिला भवन स्थित प्लाट नं. 23-बी, कुन्दन नगर, ग्राम-खजूरी कला, वार्ड नं. 60, भोपाल (म.प्र.) चर्तुसीमाएं-उत्तर-प्लाट नं. डी-23-ए, पूर्व-संस्था की जमीन, पश्चिम-रोड, दक्षिण-प्लाट नं. डी-22-ए ।	₹ **900000/-** ₹ **90000/-** ₹ **5,000/-**
	शाखा कोलार रोड शाखा, भोपाल फोन : 0755-2494096			
4	**ऋणी :** (1) **मेसर्स मिश्रा इण्टरप्राइजेस पार्टनरशिप फर्म - पता :** डी-1, सांईनाथ कालोनी, कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.) **ऋणी एवं जमानतदार -** (2) **श्री अंचल अग्रवाल** पार्टनर **मेसर्स मिश्रा इण्टरप्राइजेस पता-** म.नं. 105, गिरधर परिसर, कोलार रोड, भोपाल (3) **श्री हेमन्त शुक्ला** पार्टनर मेसर्स मिश्रा **इण्टरप्राइजेस पता-** म.नं. 39, वन्दना नगर, गेहूँखेड़ा, कोलार रोड, भोपाल (4) **श्री विनोद मिश्रा** (जमानतदार) **पताः** म.नं. 78, महाबली नगर, कोलार रोड, भोपाल (5) **श्री उमेश मिश्रा** (जमानतदार) **मेसर्स मिश्रा इण्टरप्राइजेज के जमानतदार पता-**डीएचवी-2/219, दानिश हिल्स व्यू, कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.)	दि. **12.09.2016** को **2,10,26,684/-** (दो करोड़ दस लाख छब्बीस हजार छः सौ चौरासी मात्र) + दि. **01.09.2016** से ब्याज **@ 12.95%** प्रतिवर्ष, पेनल ब्याज **@ 2%** एवं अन्य खर्च	**लॉट नं. 4: खुला प्लाट नं. डी.के.-2/412/19, दानिश कुंज, सेक्टर-2, खसरा नं. 19/1, 19/2, 19/3/1, 19/4/2, 19/5/1, 22/1, 22/2, 22/3, 29, 31,32, 34, 35/1, 35/2, 35/3 एवं 40/1, दानिश गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, ग्राम- बंजारी, म्युनिसिपलिटी वार्ड नं. 11, तहसील-हुजूर, जिला- भोपाल चर्तुसीमा- उत्तर-भूमि क्र. 412/9, दक्षिण- भूमि क्र. 412/18, पूर्व- भूमि क्र. 412/12, पश्चिम- रोड**	₹ **4032000/-** ₹ **403200/-** ₹ **5,000/-**
			लॉट नं. 5: बंधक संपत्ति दो मंजिला रिहायशी भवन (अर्द्धनिर्मित) स्थित वार्ड नं. 83, प्लाट नं. डी-12, सिटी विस्तार, ग्राम-सनखेड़ी, कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.) चर्तुसीमा- उत्तर-रोड, दक्षिण-रोड, पूर्व- प्लाट नं. 12ए, पश्चिम-प्लाट नं. 11	₹ **2356000/-** ₹ **235600/-** ₹ **5,000/-**

नियम एवं शर्तें:
ई-नीलामी ''जहां है जैसा है एवं जो कुछ भी है'' के आधार पर की जायेगी।

(1) नीलामी बैंक द्वारा अधिकृत सेवा प्रदाता मेसर्स ई-प्रक्योरमेंट टेक्नॉलाजीस् लिमिटेड के वेबपोर्टल (**https://bom.auctiontiger.net**) पर संपन्न होगी। ई-नीलामी निविदा प्रपत्र अर्थात ऑन लाईन ई-नीलामी बिड फार्म, घोषणा, नीलामी की सामान्य नियम एवं शर्ते दिनांक **14.02.2017** से वेबसाइट **http://bankofmaharashtra.in/ on http://tenders.gov.in** पर उपलब्ध है एवं इच्छुक निविदाकर्ता संबंधित वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें श्री दानिश मुईन ई-मेल आई डी **mp@auctiontiger.net. mobile no. 8305675610/8878442117**

(2) प्राधिकृत अधिकारी की जानकारी एवं सूचना के अनुसार संपत्ति पर कोई भार नहीं है। इच्छुक निविदाकर्ता अपनी निविदा जमा करने से पूर्व संपत्ति पर भारित ऋण भार, संपत्ति का स्वत्वाधिकार, दावे, देय आदि जो किसी भी प्रकार से संपत्ति को प्रभावित करते हो, के विषय में स्वतंत्र निरीक्षण एवं जानकारी प्राप्त करें । ई-नीलामी प्रकाशन को बैंक की ओर से दी जाने वाली किसी प्रकार की प्रतिबद्धता, प्रतिनिधित्व न समझा जाये। उपरोक्त संपत्ति एवं उन पर सभी प्रकार के वर्तमान एवं भावी प्रभार/ऋण भार/दावे/स्वत्वाधिकार जो कि बैंक की जानकारी में है या नहीं है के सहित विक्रय की जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी प्रकार से अन्य पक्षकार के दावे / अधिकार / देयता के प्रति उत्तरदायी नही होगा।

(3) इच्छुक निविदाकर्ता धरोहर राशि आरटीजीएस/एनईएफटी /फण्ड ट्रांसफर के माध्यम से **लाट नं. 1 की संपत्ति की खरीद हेतु खाता क्रमांक 60123287328 IFSC MAHB000946 खाते का नाम – Earnest Money लाभार्थी का नाम : बैंक ऑफ महाराष्ट्र गौतम नगर (946)**, **लाट नं. 2 एवं 3 की संपत्ति की खरीद हेतु खाता क्रमांक 60222189917 IFSC MAHB0000753 खाते का नाम – Earnest Money, लाभार्थी का नाम : बैंक ऑफ महाराष्ट्र टी.टी. नगर (753), लाट नं. 4 एवं 5 की संपत्ति की खरीद हेतु खाता क्रमांक 60271298623 IFSC MAHB0001440 खाते का नाम – Subsidy PMEGP, लाभार्थी का नाम : बैंक ऑफ महाराष्ट्र कोलार रोड (1440),**में जमा कर सकते हैं। अथवा किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक /अनुसूचित बैंक द्वारा जारी डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से, जो ''बैंक ऑफ महाराष्ट्र संपत्ति लाट नं. 1, 2, 3, 4 एवं 5 ऋणी का नाम ...'' के पक्ष में भोपाल पर देय होगा के माध्यम से जमा कर सकते है।

(4) निविदाकर्ता के पास ई-मेल आईडी होना अत्यंत आवश्यक है। (इच्छुक निविदाकर्ता की ई-मेल पर आईडी, पासवर्ड एवं संबंधित जानकारी मेसर्स सी-1 इंडिया प्रा. लि. द्वारा भेजी जावेगी।

(5) इच्छुक निविदाकर्ता को धरोहर राशि जमा करने का प्रमाण पत्र (UTR क्र.) एवं ई-नीलामी में भाग लेने हेतु अनुरोध पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियाँ जैसे कि (1) आईडी प्रूफ (केवाईसी) जैसे-वोटर आईडी की स्वप्रमाणित प्रति/ड्रायविंग लाइसेंस /पासपोर्ट इत्यादि (2) वर्तमान पते का प्रमाण पत्र (3) निविदाकर्ता की पेनकार्ड की प्रति (4) वैध-ईमेल आई डी (5) सम्पर्क दूरभाष (मोबाइल/लैडलाईन) प्राधिकृत अधिकारी बैंक ऑफ महाराष्ट्र भोपाल के पास दिनांक **14.03.2017,** दोपहर **3.00** बजे तक जमा करना होगा। इन दस्तावेजों की स्केन कापी उपरोक्त दर्शाए गए ई-मेल आईडी पर अपलोड करनी होगी।

(6) बैंक ऑफ महाराष्ट्र भोपाल द्वारा वेबपोर्टल **https://bom.auctiontiger.net** पर होने वाली ई-नीलामी में भाग लेने वाले योग्य निविदाकर्ताओं का चयन किया जायेगा। योग्य निविदाकर्ता में मेसर्स ई-प्रक्योरमेंट टेक्नॉलाजीस् लिमिटेड द्वारा पेनकार्ड की जांच के पश्चात आईडी पासवर्ड प्रदान किया जायेगा।

(7) इच्छुक निविदाकर्ता का दायित्व है कि वह निविदा जमा करने के पूर्व उपरोक्त संपत्तियों एवं उनके विवरण की जांच एवं निरीक्षण कर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद ही निविदा जमा करें।

(8) सफल निविदाकर्ता की धरोहर राशि विक्रय मूल्य में समायोजित की जायेगी एवं असफल निविदाकर्ता की धरोहर राशि लौटा दी जावेगी। धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। बिक्री की पुष्टि होने पर सफल खरीददार बिक्री मूल्य का 25 प्रतिशत (जिसमें ईएमडी के लिए पहले भुगतान की गई रकम भी शामिल है) तुरंत अर्थात उसी दिन या अगले कार्यालयीन दिवस पर किसी पब्लिक सेक्टर बैंक / अनुसूचित बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर जो कि प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पक्ष में भोपाल पर देय हो जमा कराना होगा एवं शेष 75 प्रतिशत राशि बैंक द्वारा विक्रय की पुष्टि के 15 दिन के अन्दर भुगतान करना होगा। इन राशियों के भुगतान में किसी भी तरह की चूक की स्थिति में या विक्रय प्रक्रिया में क्रेता की ओर से किसी भी चूक की वजह से विक्रय पूर्ण नहीं होता है तो बैंक खरीददार द्वारा पहले भुगतान / जमा की गई रकम को जब्त कर सकता है। भुगतान में चूक होने पर संपत्ति की पुनः बिक्री की जायेगी और उस पर चूककर्ता खरीददार का किसी भी प्रकार का दावा नहीं रहेगा। इसके अलावा पुनर्विक्रय के कारण बैंक द्वारा किए गए सभी तरह के खर्च, लागत एवं प्रभार चूककर्ता क्रेता को वहन करने होगें एवं संपत्ति के पुनः विक्रय होने की स्थिति में चूककर्ता क्रेता का संपत्ति पर कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

(9) संभावित योग्य निविदाकर्ता ई-नीलामी हेतु प्रशिक्षण मेसर्स ई-प्रक्योरमेंट टेक्नॉलाजीस् लिमिटेड से ई-नीलामी दिनांक से पूर्व प्राप्त कर सकता है। प्राधिकृत अधिकारी / बैंक या मेसर्स ई-प्रक्योरमेंट टेक्नॉलाजीस् लिमिटेड किसी भी बंद/त्रुटि (इंटरनेट बंद/लाईट जाने) के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इन स्थितियों से बचने हेतु एवं आपात कालीन परिस्थितियों हेतु निविदाकर्ता से निवेदन है कि वे सभी आवश्यक प्रबंध/विकल्प अपने पास रखें। जिससे वे ई-नीलामी में सफलता पूर्वक भाग ले सकें।

(10) सफल क्रेता को आवश्यक स्टाम्प शुल्क/अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क, ट्रांसफर शुल्क, रजिस्ट्रेशन फीस इत्यादि /संपत्ति पर भुगतान की जाने वाली सांविधिक देयताएं एवं अन्य प्रभार यदि कोई हो से संबंधित सभी व्यय का भुगतान करना होगा।

(11) प्राधिकृत अधिकारी अधिकतम निविदा या किसी भी निविदा को स्वीकृत करने हेतु बाध्य नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी को बिना कारण बताएं सर्वोच्च निविदा या किसी भी निविदा को स्वीकृत / अस्वीकृत /निरस्त / स्थगित करने या संपत्ति की नीलामी प्रक्रिया से वापस लेने का अधिकार होगा।

(12) विक्रय प्रमाण पत्र सफल निविदाकर्ता के पास जारी किया जावेगा। विक्रय प्रमाणपत्र में किसी अन्य व्यक्ति/संस्था का नाम जोड़ना/हटाना संभव नहीं होगा।

(13) बैंक द्वारा विक्रय की पुष्टि एवं संपूर्ण राशि प्राप्त होने के पश्चात प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विक्रय प्रमाणपत्र प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत सफल निविदाकर्ता के नाम से जारी किया जावेगा।

सिक्यूरीटाइजेशन एक्ट 2002 के अंतर्गत विक्रय हेतु 30 दिवसीय वैधानिक सूचना

उधारकताओं/जमानतदारों को एतद् द्वारा नीलामी की दिनांक के पूर्व उपरोक्त राशि का भुगतान बैंक को करने हेतु सूचित किया जाता है अन्यथा उपरोक्त वर्णित संपत्ति की ई-नीलामी कर दिया जावेगा तथा शेष राशि ब्याज एवं अन्य खर्चो सहित उनसे वसूल की जावेगी।

दिनांक : 12-02-2017
स्थान : भोपाल

मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी
बैंक ऑफ महाराष्ट्र